छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 418/2008

1. श्री पप्पू पाण्डेय, – अपीलार्थी
जलेबी चौक, एप्रोच रोड़,
केम्प–1, भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय नगर पालिक निगम,
भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 31 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री पप्पू पाण्डेय द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला–दुर्ग के समक्ष दिनांक 14.01.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें त्रुटिपूर्ण जानकारी दिये जाने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.02.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.02.2008 को आदेश पारित कर 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क जानकारी देने के निर्देश दिये गये, किन्तु उसके बाद भी उन्हें पूर्ण एवं सही जानकारी नहीं दी गई, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.04.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में आयोग द्वारा पहले संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण 15 दिवस में कराये जाने और उसके बाद राशि 100/– रूपये तक की जानकारी जो दिये जाने योग्य हो, वह सूची प्राप्त कर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी ने रिकार्ड ढूंढने में समय लगने के कारण कुछ और अतिरिक्त समय चाहा गया था, जिन्हें एक माह का समय दिया गया और दिनांक 29.01.2009 को अपीलार्थी को कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई। प्रकरण में अंतिम बहस के समय अपीलार्थी ने बताया कि उनके दिनांक 13.08.2007 के आवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में उन्होंने जानकारी चाही है और मुख्य मंत्री निवास कार्यालय एवं कलेक्टर, दुर्ग के यहॉ से जो पत्र भेजे गये थे तथा नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे, उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी मॉगी गई थी, किन्तु उन्हें त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण जानकारी दी गई है। प्रकरण में कुटरचित दस्तावेज के आधार पर दिनांक 06.08.2007 को रजिस्ट्री प्राप्त हुई और उसके बाद अतिक्रमण हटाने एवं विद्युत एन0ओ0सी0 निरस्तीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। इस संबंध में जन सूचना अधिकारी ने सूचित किया है कि उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार समस्त जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण करा दिया गया है और उन्हें जानकारी निःशुल्क दे दी गई है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उन्हें पूर्ण व चाही गई सही जानकारी नहीं दी है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी सही जानकारी पूर्ण रूप से नहीं देना आपत्तिजनक है, अतः आयुक्त, नगर निगम, भिलाई को इस प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने स्तर पर पुनः जॉच करें और यदि रजिस्ट्री में कुटरचित दस्तावेज होने का आरोप सही पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने एवं विद्युत एन0ओ0सी0 निरस्त करने तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण करावें और अपीलार्थी को इस संबंध में उनके आवेदन में चाही गई पूर्ण सही जानकारी निःशुल्क प्रदान करावे तथा आयोग को भी इस संबंध में प्रतिवेदन भेजा जावे। साथ ही त्रुटिपूर्ण व अपूर्ण जानकारी के कारण हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए निगम की ओर से धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये 250/– की राशि प्रदान की जावे।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com